फा.सं. 36035/3/2009-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक

****

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद अशक्तता से ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद अशक्तता से ग्रस्त हो जाता है, इस विभाग के दिनांक 29.12.2005 के का.ज्ञा.सं. 36035/3/2004-स्था(आरक्षण) के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं ।

2. एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 29.12.2005 का का.ज्ञा. सेवा में आने से पहले अशक्तता से ग्रस्त हुए व्यक्ति और सेवा में आने के बाद अशक्तता से ग्रस्त हुए व्यक्ति में कोई भेद नहीं करता । यदि कोई कर्मचारी सेवा में आने के बाद अशक्तता से ग्रस्त हो जाता है तो उसे उपर्युक्त संदर्भित का.ज्ञा. में निहित अनुदेशों के अनुसार उस तारीख से अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में आरक्षण का लाभ मिलेगा जिस तारीख को वह अशक्तता का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे इस ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी संस्थापनाओं के ध्यान में ला दें ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

23092158

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।

3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ.काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली ।
8. मुख्य आयुक्त, अशक्तताएं का कार्यालय, सरोजनी हाऊस, 6, भगवान दास रोड़, नई दिल्ली – 110001.
9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा इस मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
11. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
12. स्था.(आरक्षण) डेस्क के लिए 100 अतिरिक्त प्रतियां ।